(17)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 7187–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–6–2016 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला देवास प्रकरण कमांक 02/बी–103/2016–17.

श्रीमती अलका पत्नी श्री सत्यनारायण
निवासी महात्मा गांधी मार्ग कन्नौद
जिला देवास म0प्र0

.....आवेदक

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन द्वारा
कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं बरिष्ठ जिला पंजीयक
जिला देवास
2–दीपक पुत्र श्री अशोक कुमार भनोत
निवासी कन्नौद जिला देवास
3–भगवानसिंह पुत्र श्री शैतानसिंह ठाकुर
निवासी सुकलिया तहसील कन्नौद
जिला देवास

.....अनावेदकगण

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री बी0एन0त्यागी, अभिभाषक अनावेदक कमांक 1
श्री संदीप दुबे, अभिभाषक अनावेदक कमांक 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 1/6/2017 ~~को~~ पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–6–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं वरिष्ठ जिला पंजीयक जिला देवास के समक्ष अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा निष्पादित कब्जा सहित इकरारनामा रुपये 10,51,000/– पर मात्र 100/–रुपये स्टाम्प चुकाये गये हैं और वह कमी स्टाम्प शुल्क जमा कराने को तैयार है । अतः विधिवत् इकरारनामा को मान्य किया जाये । कलेक्टर ऑफ् स्टाम्प द्वारा प्रकरण क्रमांक 89/बी–103/2012–13 दर्ज कर दिनांक 24–4–13 को आदेश पारित कर कमी मुद्रांक शुल्क 1,05,000/– एवं उसकी एक गुना शास्ति रुपये 1,05,000/– इस प्रकार कुल रुपये 2,10,000/– जमा कराने के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 2110–एक/13 में दिनांक 11–3–14 को आदेश पारित कर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश निरस्त कर प्रकरण आवेदिका को अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुये निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । इस न्यायालय के प्रत्यावर्तन आदेश में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा कार्यवाही कर दिनांक 4–6–16 को आदेश पारित कर पुनः कमी मुद्रांक शुल्क 1,05,000/– एवं उसकी एक गुना शास्ति रुपये 1,05,000/– अधिरोपित की गई तथा उक्त राशि आवेदिका द्वारा जमा कर दिये जाने के कारण इकरारनामा को यथोचित मुद्रांकित किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं वरिष्ठ जिला पंजीयक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदिका द्वारा अनावेदक क्रमांक 2 से मकान विक्रय करने का कोई अनुबंध नहीं किया गया है और फर्जी अनुबंध पत्र तैयार किया गया है अतः कलेक्टर ऑफ स्टाम्प को 10 गुना शास्ति अधिरोपित करना चाहिये था, परन्तु एक गुना शास्ति अधिरोपित करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 7–2–2013 पर विधिवत् विचार किये बिना आदेश पारित किया गया है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि संहिता की धारा 35 में दस गुना शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है अतः कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा विधि विपरीत आदेश पारित किया गया है । उनके द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये ।

5/ अनावेदक कमांक 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रति प्रस्तुत करते हुये तर्क प्रस्तुत किया गया कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश के परिप्रेक्ष्य में व्यवहार न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित कर दिया गया है इसलिये यह निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा विधिवत् स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये कि अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत 5 रुपये से लगाकर 10 गुना तक शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है। अतः कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा एक गुना शास्ति अधिरोपित करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है क्योंकि शास्ति अधिरोपित करना प्रकरण की परिस्थितियों एवं कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के विवके पर निर्भर है, इसलिये कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प एवं वरिष्ठ जिला पंजीयक, जिला देवास द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–6–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर